राजस्व अपील संख्या : 112/2024

उनवान : कमला देवी व अन्य बनाम दुदाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 112/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/602

अपीलाण्ट्स :–

1. कमला देवी पुत्री रावतीयाजी माता राधा (पत्नि भवरदासजी) जाति रंगास्वामी भील निवासी सादडी हाल उन्दरथल, तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. कनिया देवी पुत्री रावतीयाजी माता राधा (पत्नी कालुदासजी) जाति रंगास्वामी भील निवासी सादडी हाल स्वरुपगंज तहसील देसूरी जिला पाली राज.
3. पिया पुत्री रावतीयाजी माता चन्द्रा (पत्नी प्रेमदासजी) जाति रंगास्वामी भील, निवासी सादडी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

रेसपोडेण्ट्स :–

1. दुदाराम पुत्र रावतीयाजी जाति रंगास्वामी भील निवासी सादडी तहसील देसूरी, जिला पाली राज.
2. बाबूलाल पुत्र रावतीयाजी जाति रंगास्वामी भील, निवासी सादडी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.
3. लादुराम पुत्र रावतीयाजी जाति रंगास्वामी भील, निवासी सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.
4. भोमाराम पुत्र रावतीयाजी जाति रंगास्वामी भील, निवासी सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.
5. रामलाल पुत्र चमनाजी जाति कुम्हार निवासी सादडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.
6. रुगनाथराम पुत्र चमनाजी जाति कुम्हार निवासी सादडी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.
7. नगराज पुत्र रामलाल जाति कुम्हार, निवासी सादडी, तहसील देसूरी जिला पाली, राज.
8. बस्तीमल पुत्र रामलाल जाति कुम्हार, निवासी सादडी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.
9. अशोक कुमार पुत्र रुगनाथराम जाति कुम्हार, निवासी सादडी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.
10. भंवरलाल पुत्र रुगनाथराम जाति कुम्हार, निवासी सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

राजस्व अपील संख्या : 112/2024

उनवान : कमला देवी व अन्य बनाम दुदाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध नामान्तरण संख्या 444 आज्ञा दिनांक 12.09.1997, नामान्तरण संख्या 602 आज्ञा दिनांक 25.08.2001, नामान्तरण संख्या 702 आज्ञा दिनांक 23.09.2002, नामान्तरण संख्या 4048 आज्ञा दिनांक 05.06.2024, नामान्तरण संख्या 4071 आज्ञा दिनांक 27.06.2024 को तहसीलदार देसूरी ने स्वीकृत किया जिसको निरस्त कराने बाबत्।

उपस्थितिः-

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भेराराम गोयल।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री जेठुसिंह राव।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 05 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

-:निर्णयः-

दिनांकः 26.05.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा सादडी पटवार हल्का, सादडी चक। नामान्तरण संख्या 444 आज्ञा दिनांक 12.09.1997, नामान्तरण संख्या 602 आज्ञा दिनांक 25.08.2001, नामान्तरण संख्या 702 आज्ञा दिनांक 23.09.2002, नामान्तरण संख्या 4048 आज्ञा दिनांक 05.06.2024, नामान्तरण संख्या 4071 आज्ञा दिनांक 27.06.2024 को तहसीलदार देसूरी ने स्वीकृत किया जिसको निरस्त कराने हेतु** पेश की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अतः अपील सब्जेट टु लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सादडी तहसील देसूरी जिला पाली राजस्थान के पटवार हल्का, सादडी चक प्रथम में खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 861, 862, 863 कुल खसरे 03 कुल रकबा 0.7600 हैक्टेयर कुल लगान 5.32 की कृषि भूमि रावतीया पुत्र सुरता जाति रंगास्वामी भील, निवासी सादडी के नाम विद्यमान थी। रावतीया पुत्र सुरता की मृत्यु दिनांक 20.07.1995 को हो चुकी है उसके पश्चात उनके वारिसान के रुप में दुदाराम, बाबुलाल, लादुराम, भोमाराम, पुत्रगण रावतीया व राधा, चन्द्रा, पत्नीगण रावतीया के नाम नामान्तरण हुआ जो नामान्तरण संख्या 444 दिनांक 12.09.1997 को स्वीकृत हुआ जो विधिनुकुल नहीं होने से खारिज योग्य है, क्योंकि रावतीया की तीन जायंदा पुत्रीयां कमला देवी, कनिया, पिया मौजुद थी और आज भी जीवित हैं, जिनके नाम का नामान्तरकरण नहीं होने से वे अपने अधिकारों से वंचित हो गई। तथा राधा पत्नी रावतीया की मृत्यु दिनांक 12.11.1993 को हो चुकी थी। जिसका भी हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी जांच के मृतक राधा का नाम दर्ज किया गया था जिससे उक्त नामान्तरकरण खारिज योग्य है। तत्पश्चात् चन्दा पत्नी रावतीया की मृत्यु दिनांक 20.11.1998 को हुई है जबकि हल्का पटवारी द्वारा गलत रुप से फर्जी नामान्तरण बाबुलाल, लादुराम, भोमाराम पुत्रगण रावतीया का नामान्तरण संख्या 602 दिनांक 25.08.2001 को भरा गया जो काबिल खारिया योग्य है, क्योंकि उस समय उसकी जायंदा पुत्री जीवित थी व आज भी जीवित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 112/2024

उनवान : कमला देवी व अन्य बनाम दुदाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

यह कि दिनांक 12.11.1993 को एक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 861,862, 863 कुल खसरें 03 कुल रकबा 0.7600 हैक्टेयर कुल लगान 5.32 का दुदाराम, बाबुलाल, लादुराम, भोमाराम, पुत्रगण रावतीया व राधा पत्नी रावतीया द्वारा करवाया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 702 दिनांक 23.09.2002 को स्वीकृत हुआ। जो रामलाल पुत्र चमनाजी, रुगनाथराम पुत्र चमनाजी, जातिगण कुम्हार, निवासीगण सादडी, के नाम करवाया गया। जो काबिल खारिज योग्य है क्योंकि जिस दिन रजिस्टर्ड विक्रय विलेख हुआ उस समय विक्रेता राधा की मृत्यु दिनांक 12.11.1993 को हो चुकी है। जिससे फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरकरण हुआ जो काबिल खारिज योग्य है। उक्त भूमि के खरीददार रुगनाथराम पुत्र चमनाजी के द्वारा अपने पुत्रगण भंवरलाल व अशोक कुमार के नाम बख्शीश करवाया गया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 4048 दिनांक 05.06.2024 को भरा गया जो पूर्व के समस्त नामान्तरकरण एवं उक्त रजिस्ट्री दुषित व फर्जी होने से काबिल खारिज योग्य है। उक्त भूमि के खरीददार रामलाल पुत्र चमनाजी के द्वारा अपने पुत्रगण नगराज व बस्तीमल आर प्रजापति के नाम बख्शीश करवाया गया है जिसका नामान्तरण संख्या 4071 दिनांक 27.06.2024 भरा गया जो पूर्व के समस्त नामान्तरकण एवं उक्त रजिस्ट्री व फर्जी होने से काबिल खारिज योग्य है।

यह है, कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् 861, 862, व 863 की भूमि के नामान्तरकरण संख्या 444 आज्ञा दिनांक 12.09.1997, नामान्तरकरण संख्या 602 आज्ञा दिनांक 25.08.2001, नामान्तरकरण संख्या 702 आज्ञा दिनांक 23.09.2002 नामान्तरकरण संख्या 4048 आज्ञा दिनांक 05.06.2024, नामान्तरकरण संख्या 4071 दिनांक 27.06.2024 तमाम दूषित व फर्जी दस्तावेजो के आधार पर होने तथा विधिविरुद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है तथा मूल भूमि मालिक रावतीया पुत्र सुरता की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में उसकी जायन्दा पुत्रियों कमला देवी, कनिया व पिया के अधिकारों का हक का नामान्तरकरण उक्त तमाम नामान्तरकरणों को खारिज करते हुए किया जाना आवश्यक है।

यह कि अपीलाण्ट को नामान्तरकरण संख्या मौजा सादडी पटवार हल्का, सादडी चक। नामान्तरण संख्या 444 आज्ञा दिनांक 12.09.1997, की जानकारी दिनांक 21.05.2024, नामान्तरण संख्या 602 आज्ञा दिनांक 25.08.2001 की जानकारी 11.06.2024, नामान्तरण संख्या 702 आज्ञा दिनांक 23.09.2002 की जानकारी 03.06.2024, नामान्तरण संख्या 4048 आज्ञा दिनांक 05.06.2024 की जानकारी 15.10.2024 नामान्तरण संख्या 4071 आज्ञा दिनांक 27.06.2024 की जानकारी 15.10.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त हुई। अपीलाण्ट संख्या 01, 02,व 03 अनपढ़ होने से नामान्तरकरण निरस्त करवाने की जानकारी नहीं होने से उक्त अपील समय पर पेश नहीं कर पाई जिसकी माफी बक्शावें।

अतः मौजा सादडी पटवार हल्का, सादडी चक प्रथम में खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 861, 862 व 863 कुल खसरें 03 कुल रकबा 0.7600 हैक्टेयर का नामान्तरण संख्या 444 आज्ञा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

राजस्व अपील संख्या : 112/2024

उनवान : कमला देवी व अन्य बनाम दुदाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांक 12.09.1997, नामान्तरण संख्या 602 आज्ञा दिनांक 25.08.2001, नामान्तरण संख्या 702 आज्ञा दिनांक 23.09.2002, नामान्तरण संख्या 4048 आज्ञा दिनांक 05.06.2024, नामान्तरण संख्या 4071 आज्ञा दिनांक 27.06.2024 को निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या 05 लगाय 10 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त अपील के साथ बाद लिमिट होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम पेश किया है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि राजस्व ग्राम सादडी पटवार हल्का सादडी के नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 12.09.1997 जो कि प्रार्थीगण रामलाल, रघुनाथराम द्वारा जरिये विक्रय विलेख द्वारा खरीद किया जिसका नामान्तरकरण दिनांक 12.09.1997 को दाखिल दर्ज किया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी अपीलाण्ट को भलीभांति थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 तक को भी भली भांति होने व उपरोक्त भूमि बेचान करने की जानकारी थी जबकि उपरोक्त अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद श्रीमान को पेश की गई है। उपरोक्त धारा 05 के प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट को अनपढ़ बताकर बेबुनियाद गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण संख्या 05 से लगाकर 10 तक को सुनवाई का अवसर प्रदान न करते हुए उपरोक्त अपील के साथ प्रस्तुत प्रा.प. 81 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, में अप्रार्थी संख्या 05 से 10 को बिना सुने ही स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्याय के हित में गलत है तथा अप्रार्थीगण संख्या 05 लगाय 10 को अपूर्णीय क्षति की संभावना है। यह भी, कि उपरोक्त अनवान की अपील में प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्त प्रार्थना पत्र में विधिवत कार्यवाही को सुचारु रूप से आगे की प्रोसेडींग में अपनाई जावें तथा प्रार्थी को उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का आवश्यक अवसर प्रदान करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 04 ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 व 04 ने रजिस्ट्री जरुर करवाई थी मगर उनके हिस्से की रजिस्ट्री करवाई थी। वे दोनों अनपढ़ व नशे की हालात में होने से रजिस्ट्री में क्या व कितने हिस्सें की लिखा पढ़ी हुई थी उनको कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें केवल अपने हिस्से की जमीन बेचान बाबत मालुम था। यह कि खरीदकर्ता द्वारा उक्त जरिये नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 23.09.2002 को पूरी भूमि अप्रार्थी संख्या 05 व 06 ने अपने नाम गलत तरीके से दर्ज करवा दी जिसको खारिज किया जाना आवश्यक है। यह कि हमारे पिताजी रावतीया की मृत्यु के पश्चात पीछे निम्न उत्तराधिकारी दुदाराम, बाबुलाल, लादुराम, भोमाराम पुत्रगण रावतीयाजी, कमला देवी ,कनियादेवी, पिया पुत्रीगण रावतीयाजी एवं माता चन्दा पत्नी रावतीया थे जिनका तत्कालीन हल्का पटवारी ने भी नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 12.09.1997 में नहीं भरकर भारी भूल की है। जो नामान्तरकरण संख्या खारिज किया जाना आवश्यक है तथा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 112/2024

उनवान : कमला देवी व अन्य बनाम दुदाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 01,02 व 03 एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 03 का कब्जा काश्त है। यह कि उक्त फर्जी रजिस्ट्री में हमारी माता राधा पत्नी रावतीयाजी की मृत्यु दिनांक 12.11.1993 को हो चुकी थी उसके बाद दिनांक 08.10.2001 की रजिस्ट्री में जीवित बताकर जरिये अधिकारपत्र उक्त रजिस्ट्री में वर्णित है। जो खारिज योग्य है। यह कि ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने से प्रार्थी संख्या 01, 02 व 03 एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 03 को भारी हानि होगी जिसका मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 03 ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 03 को पूर्व में कोई जानकारी नही थी न ही साक्ष्य के रुप में या विक्रय इकरार आदि में भी अप्रार्थी संख्या 03 का कोई रोल नहीं है। यह कि, अप्रार्थी संख्या 01 व 03 ने किसी तरह से किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री या अधिकार पत्र किसी के पक्ष में निष्पादित कर के नहीं दिया है। अप्रार्थी संख्या 05 लगाय 10 ने गलत व फर्जी रजिस्ट्री करवाई है जिसके जरिये नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 23.09.2002 को दर्ज करवाया है जो खारिज योग्य है

यह कि हमारे पिताजी रावतीया की मृत्यु के पश्चात पीछे निम्न उत्तराधिकारी दुदाराम, बाबुलाल, लादुराम, भोमाराम, पुत्रगण रावतीयाजी, कमलादेवी, कनियादेवी, पिया पुत्रीगण रावतीयाजी एवं माता चन्दा पत्नी रावतीयाजी थे जिनका तत्काली हल्का पटवारी ने भी नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 12.09.1997 में नहीं भरकर भारी भूल की है जो नामान्तरकरण संख्या खारिज किया जाना आवश्यक है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 01, 02 व 03 एवं हमारा कब्जा काश्त है।यह कि उक्त फर्जी रजिस्ट्री में हमारी माता राधा पत्नी रावतीयाजी की मृत्यु दिनांक 12.11.1993 को हो चुकी थी उसके बाद दिनांक 08.10.2001 की रजिस्ट्री में जीवित बताकर जरिये अधिकारपत्र उक्त रजिस्ट्री में वर्णित है। जो खारिज योग्य है। यह कि उक्त गलत रजिस्ट्री के निरस्त करवाने बाबत हमने सिविल न्यायालय सादडी में दावा पेश कर रखा है जो न्यायालय में विचाराधीन है तथा इस बाबत आपराधिक कार्यवाही भी अप्रार्थी संख्या 05 लगाय 10 के विरुद्ध पुलिस थाना देसूरी में लम्बित है। यह कि माननीय न्यायालय द्वारा न्यायहित में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जो एकदम सही है मामले के लम्बन व निर्णय तक उक्त निषेधाज्ञा होना आवश्यक है ताकि अप्रार्थी संख्या 05 लगाय 10 स्वर्ण जाति के एवं प्रभावशाली होने से विवादित भूमि की मौके की स्थिति में जबरदस्ती परिवर्तन कर सकते है। अतः अप्रार्थी संख्या 05 लगाय 10 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या 05 लगाय 10 की ओर से प्रस्तुत जवाबपत्र का अधिवक्ता अपीलाण्ट ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी न ही साक्ष्य के रुप में या विक्रय इकरार आदि में भी प्रार्थी का कोई रोल नहीं था। यह कि माननीय न्यायालय द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला पाली

न्यायहित में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जो एकदम सही है मामले के लम्बन व निर्णय तक उक्त निषेधाज्ञा होना आवश्यक है ताकि अप्रार्थी संख्या 05 लगाय 10 स्वर्ण जाति के एव प्रभावशाली होने से विवादित भूमि की मौके की स्थिति में जबरदस्ती परिवर्तन कर सकते है और उन्हौने ऐसी धमकिया भी दी है। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मौके की स्थिति भी हल्का पटवारी द्वारा मंगवाई जावें। अतः उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण 05 लगाय 10 की ओर से बिना विधिक आधार के गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो सव्यय खारिज फरमाया जावें।

जैसा कि विभिन्न माननीय न्यायालयों ने समय समय पर प्रतिपादित किया है कि अपील को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने से पूर्व मियाद के प्रश्न का निर्धारण आवश्यक है। **माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय** द्वारा भी अपने नवीनतम निर्णय प्रकरण बउनवान **'सिराजद्दीन बनाम मोहम्मद अली'** निर्णय दिनांक 02.05.2024 (RRT 2024 (2) 1095) में भी यही प्रतिपादित किया है कि **"No any order can be passed on merits without deciding the question of limitation first"**

अतः सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों के सलंग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर बहस सुनने का निर्णय लिया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट को ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 444/12.09.1997 की जानकारी दिनांक 21.05.2024, नामान्तरकरण संख्या 602/25.08.2001 की जानकारी 11.06.2024, नामान्तरकरण संख्या 702/23.09.2002 की जानकारी दिनांक 03.06.2024, नामान्तरकरण संख्या 4048/ 05.06.2024 की जानकारी दिनांक 15.10.2024, नामान्तरकरण संख्या 4071/27.06.2024 की जानकारी 15.10.2024 को जरिये अधिवक्ता नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से हुई। अपीलाण्ट अनपढ़ होने से नामान्तरकरण निरस्त करवाने की जानकारी नहीं होने से उक्त अपील समय पर पेश नहीं की जा सकी। अतः निवेदन किया कि नामान्तरण स्वीकृत होने से अपीलाण्ट को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि तक समय की माफी स्वीकृत करावें।

उक्त मियाद प्रार्थना पत्र व देरी उपशमन का विरोध करते हुए काबिल अधिवक्ता बजतरफ रेस्पोण्डेण्ट संख्या 05 लगायत 10 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि के नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 12.09.1997, जो कि श्री रामलाल एवं रघुनाथराम द्वारा जरिये विक्रय विलेख खरीद किया जिसका नामान्तरकरण दिनांक 12.09.1997 को दाखिल दर्ज किया गया, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व से भली भांति थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 तक को भी उपरोक्त भूमि बेचान करने की भली भांति जानकारी थी। यह भी, कि उपरोक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

धारा 05 के प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट को अनपढ़ बताकर बेबुनियाद एवं गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 27 वर्ष की सचेष्ट जानकारी के उपरान्त प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रथमदृष्टया ही अवधिबाधित होने से खारिज की जाए। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 05 लगाय 10 ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय 04 द्वारा प्रश्नगत कृषि आराजी का दिनांक 19.10.2001 को पंजीबद्ध विक्रय विलेख द्वारा उनके मुवक्किल रेस्पोडेण्ट संख्या 05 एवं 06 के पक्ष में बेचान किया था, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को तब से ही भली भांति थी। अब रेस्पो. संख्या 01 लगाय 04 द्वारा अपनी बहनों अर्थात अपीलाण्ट से दुरभिःसंधि कर उनके द्वारा यह अपील प्रस्तुत करवायी गई है। मूल खातेदार रावतीया की मृत्यु उपरांत ज़रिये आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 12.09.1997 के इन्हीं चारों रेस्पोडेण्ट के नाम भूमि दर्ज हुई थी। उक्त नामान्तरकरण को तत्समय स्वर्गीय रावतीया की पुत्रियों अर्थात अपीलाण्ट द्वारा चुनौति नहीं दी गई। अब प्रश्नगत कृषि आराजी की कीमतों में वृद्धि होने से स्वयं बेचानकर्ताओं द्वारा अपनी बहनों को आगे कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए प्रश्नगत भूमि के रिकॉर्डेड खातेदारों के हितों पर कुठाराघात करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जो कि पत्रावली में उपलब्ध रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय 04 के जवाब से ही स्पष्ट है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 05 लगाय 10 ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किएः-

1. 2024 R.J.R.(Rev.) 49
2. 2024 R.J.R.(Rev.) 59
3. 2024 R.J.R.(Rev.) 103
4. 2024 R.J.R.(Rev.) 412

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पो. संख्या 01 लगायत 04 द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि विक्रय विलेख दिनांक 19.10.2001 फर्जी है तथा इसे निरस्त करने का दावा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। यह भी, कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर मूल फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 12.09.1997 तथा इसके बाद प्रश्नगत कृषि आराजी से संबंधित समस्त नामान्तरकरण निरस्त फरमावें।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

मूल प्रश्न यह है कि क्या अपीलाण्ट जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरणों की जानकारी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने की तिथियों (जो कि धारा 05 प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो में उल्लेखित है) को ही होने तथा अनपढ़ एवं कानूनी जानकारी नहीं रखने के कारण विलम्ब उपशमन की अधिकारिणी है?

हस्तगत नामान्तरकरण अपील के माध्यम से अपीलाण्ट द्वारा स्वर्गीय रावतीया की मृत्यु उपरांत भरे गये फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 12.09.1997 (जिसमें अपीलाण्ट का नाम दर्ज न किया जाकर उनके भाईयों रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 04 तथा माताओं का नाम दर्ज किया गया) तथा चन्दा धर्मपत्नि रावतीया की मृत्यु उपरांत भरे गये नामा.करण संख्या 602 दिनांक 25.08.2001 (जिसमें अपीलाण्ट संख्या 03 का नाम दर्ज न किया जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 04 का नाम दर्ज हुआ) को चुनौति दी गई है। साथ ही, रेस्पो0 संख्या 02 एव 04 द्वारा बहैसियत आम मुख्तयार रेस्पो0 संख्या 01 एवं 03 तथा राधा धर्मपत्नी रावतीया के रेस्पो0 05 एवं 06 के पक्ष में किये गए पंजीबद्ध बेचान के अनुक्रम में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 23.09.2002 तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 05 एवं 06 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 07, 08, 09, 10 के पक्ष में निष्पादित बख्शीशनामें के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 4048 एवं 4071 को भी हस्तगत अपील में चुनौति दी गई है।

इस प्रकार हस्तगत अपील नामान्तरकरण संख्या 444 की स्वीकृति से 27 वर्ष उपरांत, नामान्तरकरण संख्या 602 की स्वीकृति के 23 वर्ष उपरांत, नामान्तरकरण संख्या 702 की स्वीकृति के 22 वर्ष उपरांत नामान्तरकरण संख्या 4048 की स्वीकृति के 163 दिन उपरांत तथा नामान्तरकरण संख्या 4071 की स्वीकृति के 141 दिवसों के विलम्ब उपरान्त प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम, के पद संख्या 02 में कथन किया है कि उन्हें उपरोक्त आलोच्य नामान्तरकरणों की जानकारी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने की तिथि को ही हुई एवं अपीलाण्ट अनपढ़ एवं कानूनी जानकारी का अभाव होने से उक्त देरी का उपशमन किया जाए।

हस्तगत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा मूलतः फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 12.09.1997 को इस आधार पर चुनौति दी है कि मूल खातेदार श्री रावतीया की जायन्दा पुत्रियों होने के उपरान्त भी स्वर्गीय रावतीया की मृत्यु उपरान्त उनका नाम दर्ज नही कर उनके भाईयों रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 04 तथा उनकी माताओं का नाम दर्ज किया गया। **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 में अपीलाण्ट ने कथन किया है कि कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 12.09.1997 की जानकारी दिनांक 21.05.2024 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर हुई। महत्वपूर्ण है कि अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत नामान्तरकरण अपील दिनांक 18.11.2024 को प्रस्तुत की जाकर**

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

दर्ज करवाई गई। अर्थात प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने की दिनांक 21.05.2024 से 177 दिन के विलम्ब उपरांत उक्त नामान्तरकरण अपील प्रस्तुत की गई है।

यदि अपीलाण्ट के इस कथन पर विश्वास कर भी लिया जाए कि उन्हें ज़ेर अपील आलोच्य नामान्तरकरणों की जानकारी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने की तिथि को ही हुई, तो भी अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण संख्या 444 को 177 दिन के विलम्ब से चुनौति दी है, जबकि नामान्तरकरण अपील हेतु मियाद अवधि 90 दिन ही निर्धारित है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का दिन व दिन आधार पर युक्तियुक्त कारण स्पष्ट करना होता है। **किन्तु विचाराधीन मियाद प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी ने ऐसा कोई स्पष्ट एवं युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है कि प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने के उपरान्त भी नामान्तरकरण संख्या 444 को चुनौति देने में 177 दिवसों का असामान्य विलम्ब क्यों कारित किया गया, जबकि हस्तगत अपील में सर्वप्रथम इसी नामान्तरकरण को निरस्त करवाकर अपीलाण्ट अपने खातेदारी अधिकारों की प्रस्थापना करवाना चाहती है।**

अपीलार्थीगण का यह तर्क भी अत्यन्त अनौपचारिक, अस्पष्ट एवं बेपरवाह (Casual) प्रकृति का है कि अपीलार्थीगण के अनपढ़ होने से उक्त विलम्ब का उपशमन किया जाए क्यों कि हस्तगत अपील में विधिक अधिकारों के प्रति जागरुकता से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अपीलाण्ट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में उपस्थित हुए है?

यहां यह अंकित करना महत्पपूर्ण है कि ज़ेर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 23.09.2002 (जो कि रेस्पो संख्या 01 लगायत 04 द्वारा रेस्पो संख्या 05 एवं 06 के पक्ष में किए गए पंजीबद्ध बेचान दिनांक 19.10.2001 के अनुक्रम में दर्ज किया गया) में हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 05 एवं 06 का नाम दर्ज कर स्पष्ट टिप्पणी की गई कि

" ज़रिए रजिस्ट्री बेचान रुपये 30,000/– दिनांक 19.10.2001 की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या vi......... पर पंजीकृत होने व मौके पर कब्जाकाश्त होने से ना.क. खोला गया।"

अर्थात, उपरोक्त टिप्पणी के आलोक में नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 23.09.2002 की परत एक ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य है, जो यह प्रमाणित करत है कि अपीलार्थीगण का प्रश्नगत आराजी पर उपरोक्त बेचान के बाद से ही कोई कब्जाकाश्त नहीं है, **जो कि यह मानने का पर्याप्त आधार है कि अपीलाण्ट को वक्त बेचान दिनांक 19.10.2001 से ही इस तथ्य की जानकारी है कि उनके भाईयों (रेस्पो संख्या 01 लगायत 04) द्वारा प्रश्नगत आराजी का रेस्पो संख्या 05 एवं 06 के पक्ष में बेचान कर दिया गया है।** ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का यह तर्क बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत प्रतीत होता है कि ज़ेर अपील नामान्तरकरणों की जानकारी उन्हें प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने पर हुई। इसी आधार पर कालान्तर में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 4048 एवं 4071 के संबंध में भी अपीलाण्ट का तर्क अस्वीकार किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

संक्षेप में, अपीलार्थीगण विचाराधीन नामान्तरकरण अपील के संबंध में विलम्ब से प्रस्तुत करने का ऐसा कोई युक्तियुक्त पर्याप्त व संतोषजनक कारण प्रस्तुत करने में असफल रहे है, जिस आधार पर उनके द्वारा देरी के उपशमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2007 **DNJ (SC)J 367** प्रकरण **"डॉ गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल"** मे स्पष्टतः यह मन्तव्य पारित किया है कि सहानुभुति के आधार पर देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता है तथा यह भी अंकित किया है कि "It is well considered principle of law that delay can not be condoned without assigning reasonable, satisfactory, sufficient and proper reasons "

माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय ने भी RRT 2021(1) 338 प्रकरण बउनवान 'State of Rajasthan vs. jagdish' में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि "............धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रर्याप्त एवं सदभावी कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मात्र औपचारिक प्रार्थना पत्र नहीं होता.......।"

हस्तगत प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट द्वारा मात्र औपचारिकतावश यह अंकित कर देना पर्याप्त कारण की श्रेणी में नही माना जा सकता कि अपीलाण्ट अनपढ़ होने से उनके द्वारा देरी के उपशमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 05 पर सहानुभूति विचार किया जाए। इस संबंध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण "Ramlal & othr. Vs. Rewa Coalfield LTD." AIR 1962 SC 361** में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का उद्धरण करना प्रासंगिक है कि:–

"It is however necessary to emphasise that even after sufficient cause has been shown a party is not entitled to the condonation of delay as a matter of right. The proof of sufficient cause is a condition precedent_ _ _ _. If sufficient cause is not proved nothing further has to be done; the applicantion for condoning delay has to be dishmissed on that ground alone."

भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी वाद, अपील या आवेदन निर्धारित समयावधि के बाद पेश की जाती है तो वह खारिज किया जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 05 के अनुसार कोई अपील या आवेदन समयावधि के बाद पेश किया जाता है तो आवेदनकर्ता न्यायालय को सन्तुष्ट करेगा कि वह पर्याप्त कारणों से ऐसी अपील या आवेदन समयावधि से पेश नही कर सका।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण **"Geegraj vs. Nagarmal" RRT 2022(2) 1168** में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का उद्धरण भी प्रासंगिक है कि :–

"Law of limitation being a substantine law, the appeals are to be filed within a time limit. Filing an appeal within a period of limitation is a rule and condonation of delay is an exception. Thus, while condon the delay, the court must be cautious and only on genuine reasons, the courts are empowered to condon the delay. The power of discretion to condone the delay is to be exercised Judiciously and by recording reasons."

किसी अपील के निस्तारण में मियाद के प्रश्न का निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण बउनवान "P.S. Reddy by LRs & otr. Vs. L.A." RRT 2024(1) 654 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत को उदधृत करना समीचीन है कि :–

"It is the duty of the court to dismiss the appeal presented beyond the limitation though the oppsite party has not raised any objection..... merits of the case are not required to be considered in condoning the delay."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में व्यक्त मन्तव्य के आलोक में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हस्तगत अपील में पुत्रियों के द्वारा पिता की कृषि आराजी में पैतृक हक जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु के आधार पर आलोच्य नामान्तरकरणों को चुनौति प्रस्तुत करने के उपरांत भी मियाद के प्रश्न का विनिश्चय आवश्यक है।

विचाराधीन अपील में परिसीमा के बिन्दु के अभिनिर्धारण में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 04 रेस्पोडेण्ट संख्या 01 एवं 03 द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतर का अवलोकन भी प्रासंगिक है। ध्यातव्य है कि रेस्पो0 संख्या 02 एवं 04 द्वारा बहैसियत आम मुख्तयार रेस्पो संख्या 01 एवं 03 तथा माता श्रीमती राधा जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 19.10.2001 के प्रश्नगत सम्पूर्ण कृषि आराजी का बेचान रेस्पो. संख्या 05 एवं 06 के पक्ष में किया गया था। जिसके अनुक्रम में नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 23.09.2002 दर्ज किया गया। रेस्पो संख्या 01 लगायत चार दर्ज विवरण अनुसार अपीलाण्ट के भाई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 03 ने अपने जवाबपत्र में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

अंकित किया है कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री या अधिकार पत्र किसी के पक्ष में निष्पादित करके नहीं दिया है। अप्रार्थी संख्या 05 लगाय 10 ने गलत व फर्जी रजिस्ट्री करवायी है जिसके जरिये नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 23.09.2002 दर्ज करवाया है जो खारिज योग्य है। यह भी, कि हमारे पिताजी रावतीया की मृत्यु के पश्चात् पीछे निम्न उत्तराधिकारी दूदाराम, बाबुलाल,लादुराम, भोमाराम, पुत्रगण रावतीया जी, कमला देवी, कनिया देवी, पिया, पुत्रीगण रावतीया जी एवं माता चन्दा पत्नी रावतीयाजी थे जिनका तत्कालीन पटवारी ने भी नामान्तरकरण संख्या 444 में नाम नही भरकर भारी भूल की है, जो नामान्तरकरण खारिज किया जाना आवश्यक है। तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 01,02 व 03 एवं हमारा कब्जा/काश्त है।

इसी प्रकार रेस्पो संख्या 02 एवं 04 ने अपने जवाबपत्र में कथन किया है कि उनके द्वारा रजिस्ट्री अवश्य करवायी गई थी किन्तु अपने हिस्से की करवायी गई थी तथा दोनो अनपढ़ एवं नशे की हालत में होने से उनको कोई जानकारी नहीं थी कि रजिस्ट्री मे क्या व कितने हिस्से की लिखा पढ़ी हुई थी। यह भी, कि खरीदकर्ता रेस्पो० संख्या 05 एवं 06 ने पूरी भूमि गलत ढग से ज़रिए नामा.संख्या 702 अपने नाम दर्ज करवा दी तथा अपीलार्थी का कब्जा काश्त बताते हुए उनके पक्ष में नामा. संख्या 444 दिनांक 12.09.1997 को खारिज करने का भी कथन किया है।

अर्थात् रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 04 , जो कि दर्ज विवरण अनुसार अपीलाण्ट 01 लगायत 03 के भाई है, ने उनके द्वारा दिनांक 19.10.2001 को ज़रिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख रेस्पो संख्या 05 एवं 06 के पक्ष में किए गए बेचान को अब फर्जी व कुटरचित करार देते हुए तथा प्रश्नगत कृषि भूमि पर अपीलाण्ट एवं स्वयं का कब्जा काश्त बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 444 एवं 702 को खारिज करने की मांग की है, यानि कि स्वर्गीय रावतीयाजी की मृत्यु उपरांत फौतेदगी नामा.संख्या 444 दिनांक 12.09.1997 के इन्हीं रेस्पो. संख्या 01 लगाय 04 का नाम दर्ज हुआ एवं उस आधार पर उनके द्वारा रेस्पो. संख्या 05 एवं 06 के पक्ष में पंजीबद्ध बेचान निष्पादित करवाया गया, जिसके अनुक्रम में नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 23.09.2002 दर्ज हुआ। अब इन्हीं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय 04 द्वारा अपनी बहनों अर्थात अपीलाण्ट के पक्ष में उक्त नामान्तरकरण संख्या 444 एवं फर्जी रजिस्ट्री का कथन कर नामान्तरकरण संख्या 702 को खारिज करने की इस्तदुआ की जा रही है। इससे **काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 05 लगाय 10 के इस तर्क को पुष्टि मिलती है कि रेस्पो. संख्या 01 लगाय 04 द्वारा अपनी बहनों से दुरभिसंधि कर विचाराधीन अपील प्रस्तुत की गई है। इससे उनके इस तर्क की भी पुष्टि होती है कि अपीलाण्ट को नामान्तरकरण संख्या 444 एवं तदन्तर खोले गए समस्त नामान्तरकरणों की जानकारी पूर्व से भली भांति रही है।** जिनके द्वारा प्रश्नगत कृषि आराजी में अपने हक हकूक का पूर्व में ही पंजीकृत दस्तावेज से बेचान कर दिया गया हो, उनके द्वारा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 112/2024

उनवान : कमला देवी व अन्य बनाम दुदाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

स्वयं एवं अपीलाण्ट का वर्तमान में कब्जा काश्त एवं रजिस्ट्री को फर्जी बताकर स्वयं के पक्ष में दर्ज फौतेदगी नामान्तरकरण को खारिज योग्य बताते हुए अपीलाण्ट के पक्ष में इकबालिया जवाब देना **यह मानने हेतु पर्याप्त आधार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 04 तथा अपीलाण्ट के मध्य दुरभिसंधि (Malafied collusion) है तथा अपीलाण्ट स्वच्छ हाथो से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है।**

यहाँ यह उल्लेख करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि रेस्पो. संख्या 05 एवं 06 जरिए पंजीकृत बेचान दस्तावेज दिनांक 19.10.2001 एवं नामा.संख्या 702 दिनांक 23.09.2002 के विवादित कृषि आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार तथा सदभाविक क्रेता थे, जिनके द्वारा रेस्पो संख्या 07 लगायत 10 के पक्ष में उक्त आराजी को बख्शीश किया गया। ऐसे सदभाविक क्रेता एवं रिकॉर्डेड खातेदारों के अधिकारों को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि उक्त पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 19.10.2001 को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है। **माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने भी प्रकरण बउनवान "Durgaram vs. smt. Bhanwari & othr." 170 RRT 2021 (1)** में यही न्यायिक मन्तव्य ज़ाहिर किया है।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा ही एक अन्य प्रकरण बउनवान "Gurudanish vs. Hasina & othr." 640 RRT 2024 (1) में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि " Mutation is a fiscal proceeding and no relief can be granted against a recorded khatedar."

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण बउनवान "Sharda devi vs. amina." RRT 2018-19 (supp.) 581 में तो यह स्पष्ट रुप से प्रतिपादित किया है कि:-

".........क्रेता सद्भावी कृषक है और उनको आराजी क्रय करने के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इतने लम्बे अन्तराल बाद दर्ज खातेदार के अधिकार नामान्तरकरण अथवा सरसरी कार्यवाही के द्वारा निरस्त नहीं किए जा सकते है।"

सारांशतः, उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित उनके कथनों को बल दे सके तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट ऐसा सन्तोषप्रद एवं युक्तियुक्त कारण भी प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, जो 27 वर्ष के असामान्य विलम्ब के उपरान्त प्रस्तुत हस्तगत अपील को म्याद-शुमार मानने हेतु पर्याप्त आधार हो। अतएव पूर्वोक्त विवेचना अनुसार तथा अंकित न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अपीलाण्ट द्वारा ज़ेर अपील नामान्तरकरणों की सचेष्ट होते हुए भी उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर हस्तगत अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

PTO

राजस्व अपील संख्या : 112/2024

उनवान : कमला देवी व अन्य बनाम दुदाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

अतः अपीलाण्ट द्वारा भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत विलम्ब के उपशमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत नामान्तरकरण अपील बेरुन मियाद होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला पाली